रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 250] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24, 1976/श्रावण 2, 1898
No. 250] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 1976/SRAVANA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July 1976

G.S.R. 474(E).—Whereas a draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), was published, as required by the said section, at pages 1901 to 1904 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th August, 1975, under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture) No. G.S.R. 470(E), dated the 29th August, 1975, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby; and the notice was given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 29th August, 1975;

And whereas no objection and suggestion from the public on the said draft has been received by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board, hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:—

RULES

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely:—

"(3) A licence to manufacture insecticides shall be issued in Form V and shall be subject to the following conditions, namely:—

(i) The licence and any certificate of renewal shall be kept on the approved premises and shall be produced for inspection at the request of an Insecticide Inspector appointed under the Act or any other officer or authority authorised by the licensing officer.

(ii) Any change in the expert staff named in the licence shall forthwith be reported to the licensing officer.

(iii) If the licensee wants to undertake during the currency of the licence to manufacture for sale additional insecticides, he shall apply to the licensing officer for the necessary endorsement in the licence on payment of the prescribed fee for every category of insecticides.

(iv) An application for the renewal of a licence shall be made as laid down in rules 11.

(v) The licensee shall comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder for the time being in force".

3. In rule 10 of the said rules, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) A licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides shall be issued in Form VIII and shall be subject to the following conditions, namely:—

(i) The licence shall be displayed in a prominent place in the part of the premises open to the public.

(ii) The licensee shall comply with the provisions of the Act, and the rules made thereunder for the time being in force.

(iii) No sale of any insecticide shall be made to a person not holding a licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute the insecticide;

Provided that this condition shall not apply to the sale of any insecticide to an officer or authority purchasing the same on behalf of the Government.

(iv) An application for the renewal of a licence shall be made as laid down in rules 11.".

4. In rule 12 of the said rules, for sub-rule (a), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(a) Subject to conditions laid down in sub-rule (3) of rule 9 and sub-rule (4) of rule 10, a licence shall not be granted to any person under this Chapter unless the licensing officer is satisfied that the premises in respect of which licence is to be granted are adequate and equipped with proper storage accommodation for avoiding any hazards for preserving the properties of insecticides in respect of which the licence is granted".

5. In Form V appended to the said rules,—

(a) for condition 4, the following condition shall be substituted, namely:—

"4. An application for the renewal of a licence shall be made as laid down in rule 11";

(b) after Condition 4, the following condition shall be inserted, namely:—

"5. The licensee shall comply with the provisions of the Insecticides Act, 1968, and the rules made thereunder for the time being in force".

6. In Form VIII appended to the said rules, after condition 3, the following condition shall be inserted, namely:—

"4. An application for the renewal of a licence shall be made as laid down in rule 11".

[No. F. 22-27/72-PPS]

ANNA R. MALHOTRA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 474(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए एक प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 470 (ई) तारीख 29 अगस्त, 1975 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (i) तारीख 29 अगस्त, 1975 के पृ० 1901-1904 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी गई थी कि उक्त प्रारूप पर उस राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई हो, की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

और उक्त राजपत्र 29 अगस्त 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् कीटनाशी नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 9 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(3) कीटनाशी के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति प्रारूप 5 में जारी की जाएगी और वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्—

(i) अनुज्ञप्ति और उसके नवीकरण का कोई भी प्रमाण पत्र अनुमोदित परिसर पर रखा जाएगा और अधिनियम के अधीन नियुक्त कीटनाशी निरीक्षक अथवा अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के निवेदन पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ii) अनुज्ञप्ति में उल्लिखित विशेषज्ञ कर्मचारिवृन्द में कोई परिवर्तन होने पर उसकी रिपोर्ट अविलम्ब अनुज्ञापन अधिकारी को दी जाएगी ।

(iii) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान कुछ और कीटनाशियों का विनिर्माण विक्रय के लिए करना चाहता है तो उसे कीटनाशी के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए विहित फीस का संदाय करने पर अनुज्ञप्ति में आवश्यक पृष्ठांकन कराने के लिए अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन करना होगा ।

(iv) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियम 11 में उल्लिखित रीति में किया जाएगा ।

(v) अनुज्ञप्तिधारी, कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बनाए गए तथा तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 10 में, उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(4) कीटनाशियों के विक्रय, भाण्डाकरण, विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रारूप 8 में जारी की जाएगी और वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :—

(i) अनुज्ञप्ति परिसर के उस भाग में, जो जनसाधारण के लिए खुला हुआ हो, सहज-दृष्ट स्थान पर लगाई जाएगी,

(ii) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम, और उसके अधीन बनाए गए तथा तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा,

(iii) किसी भी कीटनाशी का कोई विक्रय ऐसे व्यक्ति को नहीं किया जाएगा जिसके पास कीटनाशियों / विक्रय, भाण्डाकरण या विक्रय के लिए प्रदर्शन या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति न हो,

परन्तु यह शर्त सरकार की ओर से कीटनाशी का क्रय करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी को कीटनाशियों के विक्रय पर लागू नहीं होगी ।

(iv) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियम 11 में उल्लिखित रीति में किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 12 में, उपनियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) नियम 9 के उपनियम (3) और नियम 10 के उपनियम (4) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अध्याय के अधीन कोई अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि अनुज्ञापन अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाए कि ये परिसर, जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति मंजूर की जानी है, यथेष्ट है और भाण्डारकरण के लिए समुचित स्थान वाला है ताकि इन कीटनाशियों के, जिनकी बाबत अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, मूल गुणों के परिरक्षण में कोई कठिनाई न हो ।'

5. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 5 में,—

(क) शर्त 4 के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—

"4. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियम 11 में उल्लिखित रीति में किया जाएगा ।"

(ख) शर्त 4 के पश्चात् निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"5. अनुज्ञप्तिधारी, कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बनाए गए तथा तत्समय प्रवृत्त नियमों का अनुपालन करेगा ।"

6. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 8 में शर्त 3 के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियम 11 में उल्लिखित रीति में किया जाएगा।"

[सं० फा०-22-27/72-पी० पी० एस०]

अन्ना आर० मल्होत्रा, संयुक्त सचिव ।

IndiaCode

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

IndiaCode